



JPSC

राज्य सिविल सेवा

झारखण्ड लोक सेवा आयोग (JPSC)

पेपर- 4B

लोक प्रशासन एवं सुशासन



क्र.सं.	अध्याय	पृष्ठ सं.
लोक प्रशासन एवं सुशासन		
1.	सरकार के मंत्रालय एवं विभाग	1
2.	रक्षा मंत्रालय	7
3.	आर्थिक कार्य विभाग	9
4.	विनिवेश विभाग	11
5.	विदेश मंत्रालय	16
6.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	18
7.	ग्रामीण विकास मंत्रालय	20
8.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	22
9.	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	23
10.	कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय	24
11.	केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण	28
12.	पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग	30
13.	प्रधानमंत्री कोष	32
14.	पंचायती राज मंत्रालय	33
15.	संसदीय कार्य मंत्रालय	35
16.	अर्द्ध-न्यायिक निकाय	38
17.	राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की शक्तियाँ व प्रक्रियाएँ	41
18.	सांविधिक निकाय	45
19.	राष्ट्रीय महिला आयोग	51
20.	भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग	56
21.	विनियामक निकाय	66
22.	अधिकरण	71
23.	सांविधिक संस्थाएँ	76
24.	केन्द्रीय सतर्कता आयोग	78
25.	केन्द्रीय सूचना आयोग	79
26.	लोकपाल एवं लोकायुक्त	80
27.	विनियामक आयोग	81
28.	अर्द्ध-न्यायिक संस्थाएँ	82


29.	अधिकार एवं मुद्दे	83
30.	लोक-नीति	86
31.	विभिन्न देशों के संविधान से तुलना	88
32.	लोक प्रशासन	90
33.	विकास प्रशासन का तत्व	104
34.	प्रत्यायोजन	120
35.	सत्ता एवं उत्तरदायित्व	122
36.	वरीयता अनुक्रम	130
37.	संवैधानिक एवं अन्य प्राधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ	132
38.	संविधान संशोधन: एक नज़र में	137

सरकार के मंत्रालय एवं विभाग

(Ministries and Departments of the Government)


प्रशासन के कार्यों में कल्याणकारी श्रवधारणा जुड जाने के साथ ही प्रशासन का स्वरूप व्यापक हो गया है। कार्यों के बेहतर क्रियान्वयन के लिये कार्यों को विभिन्न विभागों व मंत्रालयों के अंतर्गत विभाजित किया गया है। शाब्दिक दृष्टि से विभाग से तात्पर्य किसी संगठन या इकाई के भाग या अंग से है। विभाग भ्रम-विभाजन संकल्पना की देन है। सरकार कायम रहने के लिये स्थापित किये गए मूलभूत उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभागों की स्थापना कर दी जाती है।

भारत में मंत्रालयों तथा विभागों का निर्माण और विद्यतन कार्यपालिका का कार्य है। प्रोफेसर व्हाइट के अनुसार प्रशासन की सुदृढ नीति विभागों पर ही निर्भर होती है।



मंत्रालयों को विभागों में बाँटा गया है। मंत्रालय एवं विभागों का उल्लेख गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूलस, 1961 (Government of India Allocation of Business Rules, 1961) में है। मंत्रालय व विभाग के नीचे विंग, डिवीजन, ब्राँच इत्यादि का प्रयोग होता है। मंत्रालयके राजनीतिक प्रमुख मंत्री होते हैं और प्रशासनिक प्रमुख सचिव होते हैं। स्पष्ट है कि राजनीतिक प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी होते हैं और प्रशासनिक प्रमुख, प्रशासनिक पदाधिकारियों में से अनुभव, वरीयता इत्यादि के आधार पर चयनित किये जाते हैं।


मंत्रालय एवं विभागों का संगठन



विभिन्न मंत्रालयों के मध्य समन्वय करने के लिये मंत्रिमण्डलीय समितियों का गठन किया जाता है। इन समितियों के सदस्य मंत्रीगण होते हैं। अतः ये समितियाँ विभिन्न मंत्रालयों के मध्य एक तरह से राजनीतिक रूप से समन्वय का कार्य करती हैं। प्रशासनिक स्तर पर समन्वय प्राप्त में मंत्रिमण्डल सचिव और सचिव स्तरीय समितियों की भूमिका होती है। इस कार्य के लिये संलग्न कार्यालय, अधीनस्थ संगठन, स्वायत्त संस्थाएँ, मण्डल, आयोग, सलाहकारी समितियों इत्यादि का प्रयोग किया जाता है।

विभागीय संगठन की संरचना

विभागीय संरचना पिरामिड की भाँति है। इसमें पदसोपान पद्धति का प्रयोग किया जाता है। नियंत्रण, निरीक्षण, पर्यवेक्षण, समन्वय इत्यादि कार्यों के शरलतापूर्वक सम्पादन हेतु पदसोपान व्यवस्था एक व्यावहारिक पद्धति है।



विभागीय संरचना के पदसोपानिक पिरेमिड में शक्ति शीर्ष से प्रारंभ होकर क्रमशः नीचे की ओर चलती है। शीर्ष स्तर पर उत्तरदायित्व अधिक होता है और निम्न स्तर पर कार्य सम्पादन की मात्र बढ़ती जाती है और उत्तरदायित्व की मात्र कम होती जाती है। आदेश व निर्देश का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है और प्रतिवेदन व सूचनाओं का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर होता है। भारत में मोटे तौर पर त्रि-स्तरीय विभागीय संरचना है-

- (i) राजनीतिक स्तर पर मंत्रालय
- (ii) प्रशासनिक स्तर पर सचिवालय
- (iii) क्रियान्वयन स्तर पर निदेशालय/विभाग या कार्यकारी संगठन।

(i) राजनीतिक स्तर पर मंत्रालय

राजनीतिक स्तर पर प्रमुख मंत्री होते हैं और इनके सहायतार्थ राज्यमंत्री व उपमंत्री होते हैं। ये सभी संसद सदस्य होते हैं एवं अपने कार्यों के लिये संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। विभिन्न चुनावों के पश्चात् जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के आधारे पर पदाधिकारियों का भी परिवर्तन होता रहता है। स्पष्ट है उनकी नियुक्ति का आधारे विशिष्ट ज्ञान एवं योग्यता न होकर दल के भीतर उनकी शक्ति, स्थिति व राजनीतिक छवि होती है। मंत्रियों का प्रमुख कार्य विभागों द्वारा कार्य करने हेतु आवश्यक नीतियों का निर्माण करना, नीति संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्नों का निराकरण करना, नीति क्रियान्वयन का सामान्य निरीक्षण करना, विभाग की नीति संबंधी प्रश्नों पर संसद के समक्ष स्पष्टीकरण देना है। मंत्री अपने विभाग से संबंधित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देते हैं, आवश्यक विधेयक प्रस्तुत करते हैं एवं जनता के समक्ष अपने विभाग का प्रतिनिधित्व करते हैं।

सचिव (विभाग प्रमुख)	उच्च स्तरीय प्रबंधन
अतिरिक्त सचिव	(उपविभाग प्रमुख)
संयुक्त सचिव	
उप सचिव (प्रभाग प्रमुख)	मध्य स्तरीय प्रबंधन
अवर सचिव (शाखा प्रमुख)	
अनुभाग अधिकारी (अनुभाग प्रमुख)	निम्न स्तरीय प्रबंधन
लिपिक	

विभागों की पदसोपानिक संरचना

(ii) प्रशासनिक स्तर पर सचिवालय

सचिवालय का प्रधान कार्य मंत्रियों को आवश्यक कार्यों के संपादन में सलाह व सहायता प्रदान करना है। मंत्रालयमुख्य मोर्चे पर अपनी भूमिका संपादित करते नजर आते हैं, परंतु पृष्ठभूमि स्तर पर सचिवालयीय कार्यों का संपादन करते हैं। सचिवालय व्यवस्था में जनम्यता के सिद्धांत का अनुपालन किया जाता है। सचिवालय प्रशासकीय विभाग के मस्तितष्क केंद्र की भाँति होते हैं। सचिवालय संगठन के शीर्ष पर सचिव होते हैं। सचिव अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य होते हैं। विभाग की सचिवालयी व्यवस्था के दो वर्ग हैं—अधिकारी वर्ग और अधीनस्थ वर्ग। अधिकारी वर्ग में सचिव, उप सचिव, अवर सचिव होते हैं। बड़े विभागों में अतिरिक्त व संयुक्त सचिव का भी प्रावधान होता है। अतिरिक्त व संयुक्त सचिव समान श्रेणी या स्तर के होते हैं। इनका सचिवालयीय कार्यों के संबंध में मंत्री से सीधा सम्पर्क होता है। सचिवालय के अधीनस्थ कर्मचारियों में अनुभाग अधिकारी, सहायक तथा अवर लिपिक आते हैं।

सचिवालय की आघारभूत भूमिका स्टाफ या सलाहकारी रूप में होती है। सचिवालय और अभिकरणों की व्यवस्था को अपना लोका नीति निर्धारण व कार्यान्वयन में अलग-अलग को स्वीकारने की और संकेत करता है। सचिवालय के शीर्ष प्रबंधन में समानता की स्थिति सशक्त होती है, तब भी विशेषज्ञों की कुछ नियुक्तियाँ होती हैं।

(iii) क्रियान्वयन स्तर पर निदेशालय/विभाग या कार्यकारी संगठन

सचिवालय विभिन्न नीतियों के निर्माण में मंत्रालयों के प्रमुख मंत्रियों को सलाह व परामर्श देते हैं। इन नीतियों के क्रियान्वयन का दायित्व जिन संगठनों पर होता है उन्हें विभाग या मंत्रालयका कार्यकारी संगठन कहा जाता है।

विभाग का प्रमुख विभागाध्यक्ष कहलाता है। इसे अलग-अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे—निदेशक, महानिदेशक, आयुक्त, महानिरीक्षक आदि। इस प्रकार कार्यकारी अभिकरणों के शीर्ष पदाधिकारियों के कई पदनाम हो सकते हैं। इनका प्रमुख कार्य नीतियों का क्रियान्वयन करना होता है। क्षेत्रीय मुद्दों के संदर्भ में ये सचिवालय को अवगत करते हैं तथा उन्हें तकनीकी सहायता देते हैं। इनके कार्य प्रशासनिक के साथ-साथ अर्द्ध-न्यायिक भी हो सकते हैं। यदि इनके समक्ष न्यायिक कार्य आते हैं तो इनके निर्णयों को संबंधित न्यायाधिकरणों या न्यायालयों में चुनौती दी जाती है।

विभागों के प्रकार (Types of Departments): संगठन की संरचना एवं आकार, कार्य की प्रकृति एवं आंतरिक संबंधों के आधार पर विभागों में विभिन्नता होती है।

- (i) **एकात्मक विभाग:** एकात्मक विभाग विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं और किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिये संगठित होते हैं, उदाहरणार्थ - प्रतिरक्षा विभाग, अंतरिक्ष विभाग इत्यादि।
- (ii) **संघात्मक विभाग:** संघात्मक विभाग अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। संघात्मक विभाग के अनेक उप-विभाग होते हैं। संघात्मक विभाग बहुमुखी होते हैं। उदाहरणार्थ- गृह विभाग, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग।
- (iii) **प्रचालन विभाग:** ये विभाग संचालनात्मक कार्य करते हैं। ये क्रियाओं के परिचालन में अपना योगदान देते हैं, जैसे- डाक विभाग, रेल विभाग आदि।
- (iv) **समन्वयात्मक विभाग:** ये विभाग समन्वय एवं पर्यवेक्षणात्मक कार्य करते हैं, जैसे- सामान्य प्रशासन विभाग।

इसके अतिरिक्त कुछ विभाग ऐसे होते हैं जिनका अधिकांश कार्य कार्यालय तक ही सीमित रहता है। इनके अंतर्गत कोई क्षेत्रीय इकाई भी नहीं होती है, उदाहरणार्थ - वित्त विभाग मंत्रालयप्रशासन के सफल संचालन में मंत्री, सचिवालय, विभाग या कार्यकारी संगठन तथा संलग्न कार्यालय और अधीनस्थ कार्यालय संलग्न रहते हैं। अच्छे प्रशासन के लिये आवश्यक है कि इन सभी घटकों के कार्यों का स्पष्ट उल्लेख और विभाजन किया जाए तथा ये सब आपस में मिलकर कार्य करें। मुख्य कार्यपालिका अभिकरणों को निम्नांकित प्रकारों में बाँटा जा सकता है-

- संलग्न कार्यालय (Attached Offices)
- अधीनस्थ कार्यालय (Subordinate Offices)
- वभागीय उपक्रम (Departmental Undertaking)
- कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी (Registered Companies)
- विशेष कानून द्वारा स्थापित बोर्ड या निगम (Board or Corporations)
- सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अधीन पंजीकृत सोसाइटी (Registered Societies)

कार्यपालिका अभिकरणों में इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रकार संलग्न व अधीनस्थ कार्यालय का है। कार्यालय नियम प्रक्रिया में इन कार्यालयों की व्याख्या की गई है। जहाँ शासकीय नीतियों को लागू करने के लिये विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता होती है, वहाँ मंत्रालय के अधीन सहायक कार्यालय होते हैं जिन्हें संलग्न और अधीनस्थ कार्यालय कहते हैं। संलग्न कार्यालय मंत्रालय द्वारा निर्धारित नीतियों को लागू करने के लिये कार्यकारिणी निर्देशन देने के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अधीनस्थ कार्यालय क्षेत्रीय कार्यालय के समान कार्य करते हैं या शासकीय निर्देशों को विस्तृत रूप से लागू करने के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सामान्य रूप से अधीनस्थ कार्यालय संलग्न कार्यालय के निर्देशन के अधीन कार्य करते हैं।

मंत्रालय व विभाग: वर्तमान परिदृश्य

(Ministries and Departments : Recent Scenario):

यद्यपि 91वें संविधान संशोधन द्वारा मंत्रियों की संख्या सीमित की गई है लेकिन तब भी मंत्रियों की संख्या ज्यादा है। प्रत्यक्ष रूप में कई मंत्रियों के पास दो या अधिक मंत्रालयों की स्थितियाँ दृष्टिगोचर होती हैं। अनुबंधों द्वारा विशेषज्ञों की नियुक्तियों के प्रयास किये गए हैं। सलाहकारी समितियों, आयोगों, मण्डलों आदि का प्रयोग बढ़ा है। 'पंचायतीराज का विषय' राज्यों को देखना है पिछर भी इसके लिये संघ में मंत्रालय है, उदाहरणार्थ-पंचायती राज मंत्रालय। मंत्रालयों के संपर्क में शोध व अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिये कुछ नोडल संस्थाओं का विकास किया जा रहा है, उदाहरणार्थ- वित्त के विषयों में वित्तीय प्रबंधन का राष्ट्रीय संस्थान (National Institute of Financial Management), फरीदाबाद को विकसित करने की योजना। मंत्री-सचिव संबंधों में परिवर्तन के लिये कुछ नवीन परिदृश्यों का वर्णन किया जा सकता है, जैसे- आउटकम बजट के माध्यम से त्रैमासिक जवाबदेही उभरी है। सूचना के अधिकार अधिनियम से लोकनीतियों में पारदर्शिता बढ़ी है। नागरिक चार्टरों का प्रयोग उभरा है। जनशिकायत निवारण में निदेशकों या न्यायाधिकरणों का प्रयोग उभरा है। न्यायपालिका की सक्रियता और न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही बढ़ी है। लोकनीति विषयों में मंत्रियों को सचिवों के क्षतिरिक्त विशेषज्ञों, नागरिक समाज या अन्य सलाहकारी समितियों की सहायता भी उपलब्ध हुई है। लोकनीति विषयों में लोकनीति इकाइयों का भी प्रयोग किया गया है। मंत्रियों के सशक्त समूहों के प्रयोग की स्थितियाँ उभरी हैं।

रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence)

भारत सरकार रक्षा और उसके हर घटक को सुनिश्चित करने के लिये जिम्मेदार है। राष्ट्रपति सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर है। राष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी मंत्रिमंडल के साथ टिकी हुई है। यह देश की सुरक्षा के संदर्भ में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने हेतु सशस्त्र बलों के लिये नीतिगत ढाँचा और साधन प्रदान करता है। रक्षा मंत्री, रक्षा मंत्रालयका प्रमुख होता है। रक्षा मंत्रालयका प्रमुख कार्य रक्षा और सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों पर सरकार की नीति संबंधी निर्देश प्राप्त करने और सेवा मुख्यालय, इंटर सर्विसेज संगठनों, उत्पादन प्रतिष्ठानों एवं अनुसंधान और विकास संगठन को इन्हें लागू करने के लिये उनसे बातचीत करना है। यह सरकार के नीति-निर्देशों और आवंटित संसाधनों के भीतर अनुमोदित कार्यक्रमों के निष्पादन का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक है। रक्षा मंत्रालय में चार विभाग होते हैं-

1. रक्षा विभाग (डीओडी)
2. रक्षा उत्पादन विभाग (डीडीपो)
3. रक्षा अनुसंधान एवं विकास (डीडीआर एंड डी)
4. पूर्व सैनिक कल्याण विभाग और वित्त डिवीजन

संगठनात्मक व्यवस्था और कार्य

(Organizational System and Function)

प्रत्येक सेवा अपने स्वयं के कमांडर इन चीफ के नीचे रखी गई। 1955 में कमांडर इन चीफ थल सेनाध्यक्ष, नौसेना प्रमुख और वायुसेना प्रमुख के रूप में किया गया। नवंबर 1962 में रक्षा उत्पादन विभाग को रक्षा उपकरणों के अनुसंधान, विकास और उत्पादन के लिये स्थापित किया गया था। नवंबर 1965 में रक्षा आपूर्ति विभाग योजना और रक्षा आवश्यकताओं के आयात प्रतिस्थापन की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये बनाया गया था। इन दो विभागों का बाद में रक्षा उत्पादन तथा आपूर्ति विभाग के रूप में विलय कर दिया गया। 2004 में रक्षा उत्पादन तथा आपूर्ति विभाग का नाम बदल कर रक्षा उत्पादन विभाग कर दिया गया था।

1980 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग बनाया गया। 2004 में भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग बनाया गया था। रक्षा सचिव रक्षा विभाग के प्रमुख के रूप में कार्य करता है और मंत्रालय में चार विभागों की गतिविधियों के समन्वय के लिये भी जिम्मेदार है।

विभागों के कार्य (Functions of Departments)

मंत्रालय का मुख्य कार्य रक्षा और सुरक्षा से संबंधित मामलों पर नीति-निर्देश तैयार करना और सेवा मुख्यालय, अंतर सेवा संगठनों, उत्पादन प्रतिष्ठानों और अनुसंधान एवं विकास संगठन से इन्हें लागू करने के लिये उनसे बातचीत करना है। यह सरकार के नीति-निर्देशों और आवंटित संसाधनों के भीतर अनुमोदित कार्यक्रमों के निष्पादन का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक है। रक्षा मंत्रालय के विभिन्न विभागों के कार्य इस प्रकार हैं-

- (i) 'रक्षा विभाग' एकीकृत रक्षा स्टाफ (इन्टीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ) एवं तीनों रक्षा सेवाओं और विभिन्न अंतर-सेवा संगठनों से सम्बद्ध कार्यवाहियाँ नियंत्रित करता है। यह 'विभाग' रक्षा बजट, अवस्थापना संबंधी विषयों, रक्षा नीति, संसदीय विषयों, विदेशों के साथ रक्षा सहयोग और रक्षा सम्बद्ध सभी गतिविधियों के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिये प्रधान भूमिका निभाता है।
- (ii) रक्षा उत्पाद विभाग का प्रमुख सचिव स्तर का अधिकारी होता है। यह विभाग रक्षा उत्पादन विषयों, आयातित भंडारों का देशज रूप विकसित करने, उपकरण एवं अन्य घटकों, युद्ध सामग्री फैक्ट्री बोर्ड (ऑडिनेटरी फैक्ट्री बोर्ड) और रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की विभागीय उत्पादन इकाइयों के नियोजन-नियंत्रण सम्बद्ध विषयों की निगरानी करता है।
- (iii) रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग का प्रमुख सचिव स्तर का व्यक्ति होता है। यह रक्षा मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार होता है। इसका कार्य सैन्य उपकरणों और सामग्रियों के वैज्ञानिक पहलुओं पर सरकार को परामर्श देना तथा तीनों रक्षा सेवाओं द्वारा वांछित शोध, डिजाइन और विकास योजनाओं को सुत्रबद्ध करना है।
- (iv) भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग का प्रमुख सचिव होता है और यह विभाग भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वासि, कल्याण एवं पेंशन विषयों से सम्बद्ध कार्य करता है।

वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance)

भारत सरकार के राजस्व संबंधी मामलों को संचालित करने के उद्देश्य से सन् 1810 में वित्त विभाग अस्तित्व में आया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसी वित्त विभाग का नाम बदलकर वित्त मंत्रालय रखा गया। यह मंत्रालय भारत सरकार के आय-व्यय का ब्यौरा रखता है। भारत सरकार के वित्त-प्रशासन तथा उससे संबंधित विभिन्न राज्यों के वित्तीय मामलों को निपटाने के लिये वित्त मंत्रालय ही उत्तरदायी है। संगठन- वित्त मंत्रालय कैबिनेट स्तर की एक वरिष्ठ मंत्री के नेतृत्व में कार्य करता है। विभाग के नीति-निर्धारण का कार्य राज्यमंत्री, उपमंत्री एवं संसदीय सचिव आदि की सहायता से किया जाता है। मंत्रालय का प्रशासनिक प्रमुख सचिव होता है, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठ सदस्य होता है। यह मंत्रियों को विभागीय नीतियों व प्रशासनिक कार्यों में सलाह देता है। वर्तमान में वित्त मंत्रालय में 5 विभाग हैं-

1. आर्थिक कार्य विभाग
2. व्यय विभाग
3. राजस्व विभाग
4. विनिवेश विभाग (2004 में शामिल)
5. वित्तीय सेवाएँ विभाग (2006-07 में शामिल)

आर्थिक कार्य विभाग (Department of Economic Affairs)

आर्थिक कार्य विभाग देश की आर्थिक नीतियों और कार्यक्रमों, जिनका आर्थिक प्रबंधन के आंतरिक और वैदेशिक पहलुओं से संबंध होता है, को तैयार करने और उन्हें मॉनिटर करने के लिये केन्द्र सरकार की नोडल एजेंसी है। इस विभाग का एक प्रमुख उत्तरदायित्व प्रतिवर्ष केन्द्रीय बजट तैयार करना है।

व्यय विभाग (Department of Expenditure)

सरकार की शार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली और राज्य की वित्तीय स्थिति से संबंधित मामलों की जाँच करने हेतु यह एक नोडल विभाग है। इस विभाग के मुख्य कार्यकलापों में प्रमुख स्कीमों/परियोजनाओं (योजना और गैर-योजना व्यय दोनों) की स्वीकृति पूर्व मूल्यांकन; राज्यों को अंतरित केन्द्रीय बजटीय संसाधनों के एक बड़े अंश का रख-रखाव; वित्त और केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन; वित्तीय सलाहकारों के साथ समन्वय करते हुए और वित्तीय नियमावली/विनियमों/आदेशों को लागू करके तथा लेखा परीक्षा टिप्पणियों/प्रेक्षणों के प्रबोधन के जरिये केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में व्यय प्रबंधन की जाँच करना; केन्द्रीय सरकारी लेखों को तैयार करना; केन्द्र सरकार के कार्मिक प्रबंधन के वित्तीय पहलुओं की व्यवस्था करना; शार्वजनिक सेवाओं की लागत और मूल्यों के नियंत्रण में केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों की सहायता करना; स्टॉफिंग पैटर्न और श्रो. एंड एम. (Operations and Maintenance) अध्ययनों की समीक्षा के जरिये संगठनात्मक पुनर्गठन में सहायता करना व उत्पादन और शार्वजनिक व्यय के परिणामों को अनुकूलतम बनाने के लिये प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं की समीक्षा करना शामिल है। यह विभाग मंत्रालय के संसद से संबंधित कार्यों सहित वित्त मंत्रालय से संबंधित मामलों के समन्वय की व्यवस्था भी कर रहा है। राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एन.आई.एफ.एम.), फरीदाबाद इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में है।

राजस्व विभाग (Revenue Department)

राजस्व विभाग सचिव (राजस्व) के पूर्ण निर्देशन एवं नियंत्रण में कार्य करता है। यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संधीय करों से संबंधित मामलों के संबंध में अपने अधीनस्थ दो कानूनी बोर्डों केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के माध्यम से नियंत्रण करता है। प्रत्येक बोर्ड के प्रमुख अध्यक्ष होते हैं जो कि भारत सरकार के पदेन विशेष सचिव भी होते हैं। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा सभी प्रत्यक्ष करों को लगाने और संग्रहण के कार्य किये जाते हैं जबकि सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवा कर तथा अन्य परीक्षा/अप्रत्यक्ष कर लगाने व संग्रहण से संबंधित कार्य केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आता है। ये दोनों बोर्ड केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अंतर्गत गठित किये गए थे। वर्तमान में, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में 6 सदस्य और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड में अध्यक्ष सहित 5 सदस्य हैं।

वित्तीय सेवाएँ विभाग

(Department of Financial Services)

यह विभाग वित्त मंत्रालय के निर्देशन में दी जाने वाली वित्तीय, बीमा तथा बैंकिंग सेवाओं से सम्बन्धित सम्स्त कार्य निष्पादित करता है। इस विभाग की रचना आर्थिक कार्य विभाग के बैंकिंग एवं बीमा शंभाग को पृथक् करके की गई है। बैंकिंग एवं बीमा शंभाग वाणिज्यिक बैंक नीति, शाखा विस्तार, कृषि शाखा देश-विदेश के बैंक तथा राष्ट्रीय आवास बैंक से सम्बन्धित कार्य निष्पादित करता है जो मुख्यतः बैंकिंग परिचालन, औद्योगिक वित्त, प्राथमिकता क्षेत्र, कार्मिक सम्बन्ध तथा सतर्कता से सम्बन्धित होते हैं। 19 जुलाई, 1969 को अध्यादेश द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगस्त, 1991 में वित्तीय प्रणाली ढाँचे, संगठन तथा कामकाज को लेकर बनी एम. नरसिंहम समिति की अनुशंसा के पश्चात् यह शंभाग बैंकों की बैलेंस शीट पर अधिक निगरानी रखने लगा है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अन्तर्गत 1 अप्रैल, 1935 को गठित तथा 1 जनवरी, 1949 को राष्ट्रीयकृत रिजर्व बैंक आफ इण्डिया इस क्रम में वित्त मंत्रालय को तकनीकी परामर्श प्रदान करता है। एक रुपए का नोट वित्त मंत्रालय जारी करता है।

यह शंभाग बीमा से सम्बन्धित गतिविधियों भी नियंत्रित है। 1 सितम्बर, 1956 को गठित भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) तथा नवंबर 1972 में गठित भारतीय शाखात्मक बीमा निगम (GIC) जो नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लि., न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लि., ओरियण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लि. तथा यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लि. के माध्यम से कार्य करता है तथा डाक बीमा योजना को यह विभाग मार्गदर्शन प्रदान करता है। बीमा नीति एवं प्रशासन संचालन में यह विभाग प्रमुख अभिकरण है। योजनाओं की घोषणा तथा जन-कल्याण की नीति भी इसी विभाग प्रमुख बीमा द्वारा निर्मित होती है। बीमा क्षेत्र की निजी कम्पनियों को भी यह विभाग बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDA) के माध्यम से नियंत्रित-निर्देशित करता है। यह विभाग 'बीमा (संशोधन) अधिनियम, 2002' का क्रियान्वयन भी देखता है। यह विभाग बीमा, (संशोधन) अधिनियम, 2002 का क्रियान्वयन भी देखता है। यह विभाग बीमा, बैंकिंग तथा पेंशन सुधार से सम्बन्धित सम्स्त नीतियों, कानूनों, कार्यक्रमों तथा कार्यों का निष्पादन करता है। पूर्व में ये कार्य आर्थिक कार्य विभाग द्वारा निष्पादित किये जाते थे।

विनिवेश विभाग (Department of Disinvestment)

अथवा

दीपम (DIPAM)

10 दिसम्बर, 1999 को विनिवेश विभाग बनाया गया था, जिसे 6 नवम्बर, 2001 को मंत्रालय का स्तर प्रदान किया गया किन्तु सन् 2004 से इसे वित्त मंत्रालय के अधीन एक विभाग बना दिया गया है। 1991 के आर्थिक सुधारों के पश्चात् शुरू हुई। निजीकरण प्रक्रिया को नियंत्रित करने तथा तत्सम्बन्धी नीतिगत निर्णय का कार्य यही विभाग करता है। वर्तमान में इस विभाग की नीति है कि 'नवस्त्र' का स्तर प्राप्त तथा लाभार्जन कर रहे लोक उपक्रमों का निजीकरण नहीं किया जाए, बल्कि इन्हें बाहरी बाजार से पूंजी एकत्रण एवं संसाधन गतिशीलन हेतु अधिक स्वायत्तता प्रदान की जाए। साथ ही, अत्यंत घाटे में चल रहे लोक उपक्रमों को श्रमिक हितों को ध्यान में रखते हुए बन्द किया जाये या निजीकरण किया जाये। इसके अलावा सरकार निजीकरण के सामाजिक दायित्वों एवं संदर्भों को भी ध्यान में रखेगी।

गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs)

आरंभ से ही गृह विभाग का कार्यक्षेत्र अत्यन्त विस्तृत, परम्परागत तथा जटिल प्रकृति का रहा है, इसलिये इसे जननी मंत्रालय (Mother Ministry) भी कहा जाता है। अनुच्छेद 355 के अंतर्गत केंद्र सरकार का यह दायित्व है कि वह प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण तथा आंतरिक गडबडी से सुरक्षा प्रदान करे।

शान्ति एवं सौहार्द, किसी व्यक्ति के विकास एवं उन्नति तथा सामाजिक आकांक्षाओं और एक शक्तिशाली एवं सम्पन्न राष्ट्र के निर्माण के लिये आवश्यक पूर्वपिछाएँ हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये यह परिकल्पना की गई है कि गृह मंत्रालय निम्नलिखित प्रयास करेगा:

- आंतरिक सुरक्षा के लिये खतरों तथा अग्रवाद, विद्रोह एवं आतंकवाद को समाप्त करना।
- सामाजिक सौहार्द को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना तथा उसे बढ़ावा देना।
- कानून का शासन लागू करना तथा समय पर न्याय प्रदान करना।
- समाज को अपराध मुक्त वातावरण प्रदान करना।
- मानवाधिकारों के सिद्धांतों को कायम रखना।
- प्राकृतिक एवं मानव-जनित आपदाओं से होने वाली क्षति को कम करना।

गृह मंत्रालय, राज्यों के संवैधानिक अधिकारों में दखल दिये बिना सुरक्षा, शान्ति एवं सौहार्द बनाए रखने के लिये राज्य सरकारों को जन शक्ति एवं वित्तीय सहायता, मार्गदर्शन एवं विशेषज्ञता प्रदान करता है।

गृह मंत्रालय की भूमिका

(Role of Home Ministry)

- शार्वजनिक व्यवस्था एवं पुलिस-राज्यों के मुख्य दायित्व(भाग XI एवं शातवी अनुसूची) ।
- संघ के कर्तव्य आंतरिक अशांति से राज्यों की सुरक्षा राज्यों के शासन का संविधान के अनुरूप संचालन सुनिश्चित करना ।
- नोडल मंत्रालय के रूप में दायित्व निर्वहन करना ।
- आंतरिक सुरक्षा से संबंधित सभी मामले देखना ।
- केन्द्र राज्य संबंधों एवं अन्तर राज्य संबंधों से संबंधित सभी मामले देखना ।
- राजभाषा से संबंधित सांविधानिक उपबंधों एवं राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबंधों का कार्यान्वयन ।
- संविधान के तहत कुछ प्रमुख दायित्वों का निर्वहन यथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति द्वारा पदभार ग्रहण करने संबंधी अधिसूचना, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति संबंधी अधिसूचना, राज्यों के राज्यपालों एवं संघ शासित क्षेत्रों के उपराज्यपालों एवं प्रशासकों की नियुक्ति, त्यागपत्र एवं हटाए जाने संबंधी अधिसूचना ।
- नागरिकता एवं नागरिकों को अधिकार प्रदान करने, जनगणना, राष्ट्रगान राष्ट्रीय ध्वज आदि जैसे मामले ।

विभाग

(Departments)

भारत सरकार (कार्य आवांटन) नियम, 1961 के अंतर्गत गृह मंत्रालय के निम्नलिखित विभाग हैं-

- (i) सीमा प्रबंधन विभाग
- (ii) आंतरिक सुरक्षा विभाग
- (iii) राज्य विभाग
- (iv) राजभाषा विभाग
- (v) गृह विभाग
- (vi) जम्मू कश्मीर और लद्दाख मामलों का विभाग कार्य (Functions)

गृह मंत्रालय का कार्यक्षेत्र शदैव से ही विस्तृत तथा गम्भीर प्रकृति का रहा है । गृह मंत्रालय के कार्य इसके विभागों के अनुसार यहाँ वर्णित किये जा रहे हैं ।

1. सीमा प्रबंधन विभाग

(Department of Border Management)

यह विभाग तटवर्ती सीमा सहित सीमा प्रबंधन का कार्य देखता है। देश विरोधी तत्वों से देश की सीमाओं को सुरक्षित रखना और ऐसी प्रणालियों की व्यवस्था करना सीमा प्रबंधन के मुख्य उद्देश्यों में से है, जो विधिशुभ व्यापार और वाणिज्य को सुलभ बनाते हुए ऐसे तत्वों को रोकने में सक्षम हों। सीमाओं का उचित प्रबंधन, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारी सीमाओं का प्रबंधन कई चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है क्योंकि इसमें हमारे सीमावर्ती प्रांतों की सुरक्षा और इनके सर्वोत्तम हितों की सुरक्षा के लिये देश की प्रशासनिक, राजनयिक सुरक्षा, आशुचना, विनियामक और आर्थिक एजेंसियों द्वारा समन्वित और सुनियोजित कार्रवाई किया जाना शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय भू-सीमा और तटवर्ती सीमाओं के प्रबंधन, सीमावर्ती पुलिस व्यवस्था और चौकसी को सुदृढ़ करने, सीमाओं पर सड़क बनाने बाड़ लगाने को सुदृढ़ करने, सीमाओं पर सड़क बनाने, बाड़ लगाने तथा रेशनी की व्यवस्था करने जैसे आघातभूत कार्य करने तथा सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) का कार्यान्वयन करने के लिये जनवरी 2004 में गृह मंत्रालय में सीमा प्रबंधन विभाग गठित किया गया है।

2. जम्मू कश्मीर और लद्दाख मामलों का विभाग

(Department of Jammu, Kashmir and Ladakh Affairs)

जम्मू कश्मीर और लद्दाख मामलों का विभाग जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के संघ शासित प्रदेशों, संशस्त्र सेनाओं (J & K) के विशेष अधिकार अधिनियम, 1990 से संबंधित है तथा इसके कार्यों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संघ शासित प्रदेशों से संबंधित सभी मामले, जिनमें जम्मू-कश्मीर के भीतर आतंकवाद और विशेष रूप से किसी अन्य मंत्रालय/विभाग को आवंटित मामले शामिल हैं, जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा के प्रबंधन से संबंधित रक्षा मंत्रालय के साथ समन्वय करना। लेकिन इसमें वे मामले शामिल नहीं होंगे जो कि विदेश मंत्रालय से संबंधित हैं। यह विभाग उन विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के साथ समन्वय भी करता है, जो मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास और कल्याणकारी गतिविधियों से संबंधित हैं।

3. गृह विभाग (Department of Home)

राष्ट्रपति/ उपराष्ट्रपति द्वारा कार्यभार ग्रहण करने, प्रधानमंत्रियों/मंत्रियों की नियुक्ति संबंधी अधिशूचना आदि कार्य गृह विभाग देखता है। संसद सदस्यों का मनोनयन, विधायिका में आचार संहिता, मंत्रियों की आचार संहिता संबंधी कार्य करना, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय झण्डा, राष्ट्रीय चिह्न आदि मानकों की स्थापना और राष्ट्रीय चरित्र स्थापना में सहायता करना, प्रधानमंत्री तथा संघ के अन्य

मंत्रियों की नियुक्ति, पदत्याग संबंधी अधिसूचनाओं का प्रकाशन करना भी इस विभाग के कार्य है। जनगणना, जन्म-मृत्यु पंजीकरण संबंधी कार्यों का संपादन करना, राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्तियों के मामले, राष्ट्रपति के नाम से कागजों के अधिप्रमाणन संबंधी कार्य देखना गृह विभाग का दायित्व है। पद्म पुरस्कार, वीरता पुरस्कार, जीवन रक्षा पदक आदि सम्मान देना, भौगोलिक नामों में परिवर्तन संबंधी स्वीकृति देना भी इस विभाग के कार्य है।

4. आंतरिक सुरक्षा विभाग

(Department of Internal Security)

पुलिस कानून और व्यवस्था तथा शरणार्थियों के पुनर्वास संबंधी कार्य यह विभाग देखता है। देश की सीमाओं पर तथा आंतरिक क्षेत्रों में पुलिस बल तैनात करना एवं आतंकवाद, अलगाववाद, अशांति, विद्रोह इत्यादि स्थितियों में समुचित कार्रवाई करने का दायित्व आंतरिक सुरक्षा विभाग का है। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था, राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित क्षेत्रों में पुलिस प्रशासन को समुचित मार्गदर्शन व सहायता देना, इन्टरपोल से सम्बन्ध स्थापित करना, पुलिस पदक व अन्य प्रमाण पत्र प्रदान करने का कार्य सम्पन्न करवाना, होमगार्ड्स, नागरिक सुरक्षा, युद्धकाल व्यवस्था संबंधी कार्य करना, विधि का शासन और राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता स्थापित करने में सहायता करना, केंद्रीय बलों जैसे- अरुण राइफल्स, भारत-तिब्बत सीमा सुरक्षा बल (ITBP), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF), राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) से संबंधित प्रशासनिक कार्यों का संपादन करवाना आंतरिक सुरक्षा विभाग की जिम्मेदारी है। इसके साथ ही भारतीय नागरिकता, निर्वासन, पंजीकरण आदि कार्य सम्पन्न करवाना भी इसी विभाग के कार्य है।

5. राज्य विभाग

(Department of States)

यह विभाग केंद्र-राज्य संबंधों, अंतर्राज्यीय संबंधों, संघ राज्य क्षेत्रों तथा - स्वतंत्रता सेनानी पेंशन संबंधी मामले देखता है। नए राज्यों का निर्माण क्षेत्र परिवर्तन, नाम में परिवर्तन इत्यादि संबंधी कार्यों को करना, अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय एकता परिषद इत्यादि को प्रशासनिक सहायता उपलब्ध कराना, अनुच्छेद-371 के अंतर्गत विशेष उपबंधों के संचालन संबंधी दायित्वों का निर्वहन करना, अग्निशमन सेवा विकास, पुलिस व कारागार सुधार संबंधी कार्य करना इस विभाग के प्रमुख कार्य हैं।

6. राजभाषा विभाग (Department of Official Language)

राजभाषा विभाग, राजभाषा से संबंधित शैक्षणिक एवं विधिक उपबंधों के कार्यान्वयन का कार्य देखता है। राजभाषा अधिनियम, 1963 का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना, केंद्रीय हिन्दी संस्थान के माध्यम से हिन्दी को बढ़ावा देने वाले कार्य करना, 'इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार' एवं शशीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार श्योजनाश को संचालित करना भी इस विभाग के प्रमुख कार्य हैं। यह एक तरह से भारतीय संविधान के अनुच्छेद-351 (हिन्दी भाषा के विकास हेतु प्रयास) के उद्देश्यों की पूर्ति भी करता है।

